



राजस्थान—सरकार
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
पंजीयन हेतु विवरण पत्र

(राजस्थान स्टाप्प नियम, 2004के नियम-57 के तहत भूमि व भवन सम्बन्धी दस्तावेजों के लिये)

भाग— अ

(पक्षकारों द्वारा भरे जाने के लिये)

1. सम्पत्ति की नगरीय क्षेत्र (अरबन एरिया) में

<input type="radio"/> वार्ड	<input type="radio"/> कॉलोनी	<input type="radio"/> शहर	<input type="radio"/> जिला

1.1. सम्पत्ति का विवरण—

ग्रामीण क्षेत्र (रुरल एरिया) में

<input type="radio"/> ग्राम	<input type="radio"/> ग्राम पंचायत	<input type="radio"/> तहसील	<input type="radio"/> जिला

2. हस्तांतरिती (जिसके पक्ष में हस्तांतरण किया जा रहा है) की प्रस्थिति—

०व्यक्ति—० आधार/जन आधार नम्बर

लिंग			जाति वर्ग			अन्य विशिष्ट श्रेणी		
पुरुष	महिला	पुरुष/महिला संयुक्त	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	एसबीसी	सामान्य	दिव्यांग	बीपीएल

संस्था—० रजिस्ट्रेशन /बी.आर.एन

<input type="radio"/> राजस्थान में पंजीकृत	<input type="radio"/> राजस्थान से बाहर पंजीकृत				
पंजीयन क्रमांक	पंजीयन दिनांक				
1	2	3	4	5	6
भागीदारी फर्म (Partnership Firm)	एल.एल.पी. (LLP)	कम्पनी (Company)	न्यास या ट्रस्ट (Trust)	सहकारी समिति (Cooperative Society)	स्टार्ट-अप (Start-Up)

3. परिशिष्ट—१ अनुसार (Annexure- 1)

1	दस्तावेज की श्रेणी—
2	दस्तावेज की उप—श्रेणी—

पंजीयन संबंधी विवरण :—

उप पंजीयक क्षेत्र	जोन	जिला

(i) सम्पत्ति की प्रकृति/श्रेणी— (टिक करें।)

क्र सं	महत्वपूर्ण श्रेणी	टिक	क्रसं	अन्य विविधप्रकृति/श्रेणी	टिक
1	कृषि (Agricultural)	(I)		एग्रो—इण्डस्ट्री	
	○ सिंचित	(II)		पोल्ट्री फार्म/डेयरी/फिशरीज	
	○ असिंचित	(III)		होटल/मोटल/गेस्ट हाऊस/रेस्टोरेण्ट	
2	आवासीय (Residential)	(IV)		पर्यटन इकाई—संलग्न परिशिष्ट—२ के अनुसार	
3	वाणिज्यिक (Commercial)	(V)		ग्रामीण पर्यटन इकाई (रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हैन्थ रिसोर्ट, स्पा, कैम्पिंग साईट, एम्बूजमेंट पार्क, एनिमल सफारी पार्क)	
4	औद्योगिक (Industrial)	(VI)		रिसोर्ट (ग्रामीण पर्यटन से भिन्न)	
	○ रीको क्षेत्र में	(VII)		सोलर/विण्ड/हार्डिंग प्रोजेक्ट (Renewal Energy)	
	○ रीको क्षेत्र के बाहर	(VIII)		कन्वेशन केन्द्र/सामुदायिक केन्द्र/सामुदायिक हाल	
5	सांस्थानिक (Institutional)	(IX)		वेयर हाऊस ० राजकीय उपकम ० प्राइवेट व्यक्ति	
	○ शैक्षणिक	(X)		मिश्रित भू—उपयोग पट्टा	

	○ अन्य	(xi)	मैरिज गार्डन	
6	खनन प्रयोजन (Mining)	(xii)	फार्म हाऊस	
		(xiii)	मोबाइल टावर	

(ii) भूमि/संपत्ति का विवरण— (वर्गफीट/गज/मीटर) या (बीघा-बिस्था/हेक्टेयर/एयर)

○ खसरा सं.० भूखण्ड सं.	○ क्षेत्रफल	टिप्पणी

(iii) भूमि/संपत्ति की स्थिति—

सड़क की स्थिति	○ राजमार्ग(हाईवे)—राष्ट्रीय/राज्य/मेगा	नाम—	संख्या—
	○ अन्य सड़क	चौड़ाई—	
कॉर्नर भूखंड	○ कॉर्नर भूखंड है	○ कॉर्नर भूखंड नहीं है	
बाउण्ड्रीवाल	○ है।	○ नहीं है।	लम्बाई रनिंग मीटर में—
वर्तमान उपयोग			
जियो कॉआर्डिनेट्स	○ अक्षांश (Latitude)		○ देशान्तर (Longitude)

(iv) भूमि/संपत्ति की चतुर्सीमा—

क्रसं	दिशा	माप	पड़ोस—पहचान	
1	पूर्व			
2	पश्चिम			
3	उत्तर			
4	दक्षिण			

4. भूमि पर निर्माण की स्थिति—

○ खाली	○ निर्मित		○ अर्धनिर्मित
	एकमंजिला	बहुमंजिला	
	○ विला	○ फ्लैट	
	○ फ्लोर संख्या	○ फ्लोर संख्या	

(i) निर्माण का विवरण—○ कुल क्षेत्रफल प्रति वर्गफुट में ○ लम्बाई रनिंग मीटर में

1	2	3	4	5
पक्का निर्माण	कच्चा निर्माण	शेड निर्माण	विविध निर्माण	अन्य निर्माण
(a) आर.सी.सी. निर्माण	(e) कच्चा/मिट्टी/के लूपेश निर्माण	(g) औद्योगिक शेड	(i) छत सहित ढांचा निर्माण	
(b) बेसमेंट एवं मल्टीप्लेक्स के साथ बहुमंजिला शॉपिंग मॉल	(f) पट्टीपोश निर्माण	(h) औद्योगिक शेड से भिन्न शेड	(j) छत रहित ढांचा निर्माण	
(c) बेसमेंट के साथ बहुमंजिला शॉपिंग मॉल			(k) प्लिंथ लेवल तक निर्माण	
(d) फाईव स्टार या अधिक सुविधाओं सहित होटल एवं क्लब			(l) बाउण्ड्रीवाल	

(ii) निर्माण काल (डेप्रिसियेशन हेतु)—टिक करें।

क्रसं	समयावधि	टिक करें।
1	10 वर्ष तक पुराना	
2	10 वर्ष से अधिक 20 वर्ष तक पुराना	
3	20 वर्ष से अधिक 35 वर्ष तक पुराना	
4	35 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक पुराना	
5	50 वर्ष से अधिक पुराना	

(iii) सम्पत्ति संबंधी विवरण :—

विकास प्रधिकरण	नगर विकास न्यास(UIT)	नगर निकाय	रीको (RIICO)	आवासन मंडल (हाउसिंग बोर्ड)	अन्य
<input type="radio"/> जयपुर		<input type="radio"/> नगर निगम			
<input type="radio"/> जोधपुर		<input type="radio"/> नगर परिषद्			
<input type="radio"/> अजमेर		<input type="radio"/> नगर पालिका			

5. सम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित पूर्ववर्ती/मध्यवर्ती दस्तावेजों का विवरण—दस्तावेजों की संख्या—

दस्तावेज की प्रकृति—				
<input type="radio"/> पंजीकृत	<input type="radio"/> पंजीयन क्रमांक	<input type="radio"/> दिनांक	<input type="radio"/> अपंजीकृत	
<input type="radio"/> इकरारनामा	<input type="radio"/> पावर ऑफ अटोर्नी	<input type="radio"/> वसीयत	<input type="radio"/> पूर्ण मुद्रांकित	अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित
<input type="radio"/> अन्य				

(i) पूर्ववर्ती/मध्यवर्ती दस्तावेजों पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का विवरण—

स्टाम्प ड्यूटी	सरचार्ज(स्टाम्प ड्यूटी का 30 प्रतिशत)			कुल राशि
	<input type="radio"/> इन्फा सरचार्ज (10%)	<input type="radio"/> काऊ सरचार्ज (10%)	<input type="radio"/> प्राकृतिक आपदा सरचार्ज (10%)	

(ii) पूर्ववर्ती/मध्यवर्ती दस्तावेजों पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज के भुगतान के माध्यम—

क्र.सं.	माध्यम	राशि	चालान/ई-स्टाम्प/रसीद संख्या	दिनांक
1.	ई-ग्रास चालान			
2.	ई-स्टाम्प			
3.	ई-रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट			
4.	ऑनलाईन ई-स्टाम्प			
5.	भौतिक स्टाम्प			

—: सम्पत्ति मूल्यांकन व शुल्क संबंधी विवरण :—

6. स्टाम्प ड्यूटी में योजनान्तर्गत रियायत की श्रेणी—(पात्रता प्रमाण पत्र (EC) का विवरण भरें/प्रति अपलोड करें)

<input type="radio"/> RIPS	<input type="radio"/> SSIPS	<input type="radio"/> Tourism Unit	<input type="radio"/> DBR-RIPS	<input type="radio"/> Others

7. दस्तावेज का मूल्यांकन—आधार—जो लागू हो

प्रतिफल राशि	बाजार दरों के अनुसार मूल्य	नीलामी राशि	आवंटन राशि	तीनों में से अधिक राशि

8. मूल्यांकन राशि पर स्टाम्प ड्यूटी/सरचार्ज/पंजीयन शुल्क/CSI शुल्क/कमीशन शुल्क के भुगतान का विवरण—

स्टाम्प ड्यूटी	सरचार्ज (स्टाम्प ड्यूटी का 30 प्रतिशत)			पंजीयन शुल्क	CSI शुल्क	कमीशन शुल्क	कुल राशि
	इन्फा	काऊ	प्राकृतिक आपदा				
	<input type="radio"/> (10%)	<input type="radio"/> (10%)	<input type="radio"/> (10%)				

—: पक्षकार संबंधी विवरण :—

9. प्रस्तुतकर्ता का विवरण—

<input type="radio"/> पक्षकार स्वयं दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता हैं—	<input type="radio"/> दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं—
	Through Power of Attorney or Other Authority
	<input type="radio"/> Power of Attorney (POA) is registered
	<input type="radio"/> Power of Attorney (POA) is not registered
	<ul style="list-style-type: none"> ● Principal is alive ● Power not revoked

10. पक्षकारों का विवरण—

प्रथम पक्ष—

क्र. सं	प्रथम पक्ष का नाम	पिता/पति का नाम	जाति/व्यवसाय	जन्म दिनांक/लिंग	पूर्ण पता	ई-मेल/मोबाइल नं.	पैन नं०	संलग्न पहचान पत्र का नाम	पहचान पत्र सं.

द्वितीय पक्ष—

क्र. सं	द्वितीय पक्ष का नाम	पिता/पति का नाम	जाति/व्यवसाय	जन्म दिनांक/लिंग	पूर्ण पता	ई-मेल/मोबाइल नं.	पैन नं०	संलग्न पहचान पत्र का नाम	पहचान पत्र सं.

- (i) पैन कार्ड न होने की दशा में फार्म नं. 60, कृषि से आय होने पर फार्म नं. 61, NRI के लिए पासपोर्ट की प्रति संलग्न करना आवश्यक है

दस्तावेज	टिक करें
(i) फार्म नं. 60	
(ii) फार्म नं. 61	
(iii) पासपोर्ट	

- (ii) दस्तावेज निष्पादन के समय भूमि की वास्तविक स्थिति दो अलग-अलग दिशाओं से लिए गए फोटोग्राफ अपलोड

Photo 1

100 Kb

Photo 2

100 KB

11. दस्तावेज पर देय स्टाम्प छायूटी/सरचार्ज/पंजीयन शुल्क/CSI शुल्क/कमीशन शुल्क के भुगतान के माध्यमः—

क्र.सं.	माध्यम	राशि	चालान/ई-स्टाम्प/रसीद संख्या	दिनांक
1.	ई-ग्रास चालान			
2.	ई-स्टाम्प			
3.	ई-रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट			
4.	ऑनलाइन ई-स्टाम्प			
5.	भौतिक स्टाम्प			

12. दस्तावेज की सम्पत्ति के संबंध में न्यायालय में वाद की स्थिति—

० कोई वाद लम्बित नहीं है	० वाद लम्बित है
	वाद संख्या
	वर्ष
हस्तांतरण/पंजीयन पर स्थगन	० है
पक्षकारों के नाम	
वादी/अपीलार्थी	प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

न्यायालय का नाम	
सिविल न्यायालय	राजस्व न्यायालय
न्यायालय सिविल न्यायाधीश	न्यायालय तहसीलदार
न्यायालय जिला न्यायाधीश	न्यायालय सहायक कलकटर
राजस्थान उच्च न्यायालय	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
० मुख्य पीठ जोधपुर० पीठ जयपुर	न्यायालय जिला कलकटर
सर्वोच्च न्यायालय	न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (RAA)
अधिकरण / अन्य प्राधिकारी	न्यायालय आयुक्त
	न्यायालय राजस्व मण्डल

13. पंजीयन पश्चात् दस्तावेज सुपुर्दगी के लिए अधिकृत व्यक्ति—

क्र.सं	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	आयु	पूर्ण पता	मोबाइल नं०

—: पक्षकारों की घोषणा :—

हस्तांतरक एवं हस्तांतरिती द्वारा घोषणा पत्र—

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि

- (i) दस्तावेज की सम्पत्ति को हस्तांतरित करने के लिए मैं/हम कानूनन स्वामी/अधिकृत हूँ/हैं।
- (ii) यह सम्पत्ति राजकीय/सरकारी अथवा स्थानीय निकाय की नहीं है।
- (iii) इस सम्पत्ति के हस्तांतरण/पंजीयन के संबंध में किसी न्यायालय का कोई स्थगनादेश नहीं है।
- (iv) हमारे द्वारा एक-दूसरे के पक्ष में अन्तरित किये जाने के लिए उल्लेखित उक्त भूमि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 सप्तित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के अधीन अधिशेष भूमि घोषित नहीं की गयी है और हस्तांतरिती को लागू अधिकतम—सीमा से अधिक नहीं है।
- (v) यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाये जाते हैं, तो मैं/हम उसके विधिक परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (vi) पैरा संख्या 1 से 13 में वर्णित सूचनाएं व घोषणा की अन्तर्वस्तु हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सही है।

क्रसं	हस्तांतरक (जिसकी संपदा का हस्तांतरण किया जा रहा है)			हस्तान्तरिती (जिसके पक्ष में हस्तांतरण किया जा रहा है)		
	नाम	हस्ताक्षर	अंगूठा निशानी	नाम	हस्ताक्षर	अंगूठा निशानी
1						
2						
3						
4						
5	पक्षकारों की संख्या के अनुसार					

दिनांक	स्थान

गवाहों का विवरण —

क्र.सं	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	आयु	पूर्ण पता	मोबाइल नं०	संलग्न पहचान पत्र का नाम	पहचान पत्र सं.
1.								
2.								

गवाहों के हस्ताक्षर—

प्रथम गवाह		द्वितीय गवाह	
नाम	हस्ताक्षर	नाम	हस्ताक्षर

दस्तावेज निष्पादन का दिनांक	दस्तावेज निष्पादन का स्थान

भाग— ब (कार्यालय प्रयोग हेतु)

क्रसं	पंजीयन लिपिक द्वारा जांच टिप्पणी		टिक
1	सम्पत्ति राजकीय/स्थानीय निकाय की नहीं होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत		○ हॉ ○ नहीं
2	पंजीयन हेतु आवश्यक समस्त यथा पक्षकारों/प्रस्तुतकर्ता के फोटोग्राफ एवं फिंगरप्रिन्ट, पक्षकारों/प्रस्तुतकर्ता की पहचान के दस्तावेज, सम्पत्ति का नक्शा व फोटोग्राफसंलग्न		○ हॉ ○ नहीं
3	कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सम्पत्ति स्थगनाधीन/अवाप्तिधीन		○ हॉ ○ नहीं
4	स्टाम्प ड्यूटी/पंजीयन शुल्क में छूट/रियायत का प्रमाण पत्र संलग्न है		○ हॉ ○ नहीं
5	सम्पत्ति मूल्यांकन नियमानुसार है		○ हॉ ○ नहीं
6	सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमानुसार नहीं है, तो मूल्यांकन में अन्तर के आधार-		
	पक्षकार द्वारा वर्णित		नियम/ मौका स्थिति/ साक्ष्य अनुसार
	भूमि की श्रेणी	मौका स्थिति अनुसारभूमि की श्रेणी	
	भूमि का उपयोग	मौका स्थिति अनुसारभूमि का उपयोग	
	बाजार दर	नियमानुसार लागू बाजार दर	
	वर्णित सड़क की श्रेणी	मौका स्थिति अनुसार सड़क की श्रेणी	
	वर्णित सड़क की चौड़ाई	मौका स्थिति अनुसार सड़क की चौड़ाई	
	भूखण्ड रिक्त है	मौका स्थिति अनुसार भूखण्ड पर निर्माण है	
	निर्माण की श्रेणी	मौका स्थिति अनुसार निर्माण की श्रेणी	
	निर्मित क्षेत्रफल	मौका स्थिति अनुसार निर्मित क्षेत्रफल	
	निर्माण पर ह्रास के लिए वर्णित अवधि	साक्ष्य अनुसार ह्रास के लिए लागू अवधि	
	कॉर्नर पर स्थित नहीं है	मौका स्थिति अनुसार सम्पत्ति कॉर्नर की है	
	स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में छूट	नियमानुसारस्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट देय नहीं	
7	मूल्यांकन में अन्तर के फलस्वरूप वास्तविक मूल्यांकन राशि		
8	नियमानुसार दस्तावेज की सम्पत्ति का पंजीयन से पूर्व मौका निरीक्षण आवश्यक है।		○ हॉ ○ नहीं
9	पावर ऑफ अटोर्नी एवं मध्यवर्ती दस्तावेजों पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया है।		○ हॉ ○ नहीं
10	स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज का भुगतान० भोतिक स्टाम्प पत्र० ई-स्टाम्प ० ई-ग्रास के माध्यम से किया गया है जिनकी वैधता की जांच यथारिति SHCIL व ई-ग्रास पोर्टल व विधिक प्रावधानानुसार की जा चुकी है।		
11	पंजीयन शुल्क व अन्य विविध शुल्कों का भुगतान० ० ई-रिसीट० ० ई-ग्रास के माध्यम से किया गया है, जिनकी वैधता की जांच यथारिति SHCIL व ई-ग्रास पोर्टल से की जा चुकी है।		
12	पक्षकारों के नाम, पते, व्यवसाय आदि का विवरण, ऑनलाइन वैकलिस्ट व दस्तावेज में यथा वर्णित हैं		○ हॉ ○ नहीं

अतः दस्तावेज पंजीकृत किया जाये।	निम्नलिखित कारणों से दस्तावेज पंजीकृत नहीं किया जाये:- (i) (ii)
---------------------------------	---

नाम की मुहर सहित हस्ताक्षर सूचना सहायक
लिपिक

(उप पंजीयक द्वारा पंजीयन के समय दस्तावेज की जांच संबंधी बिन्दु)

क्रसं	जांच संबंधी बिन्दु	हॉ	नहीं
1	दस्तावेज के पंजीयन की अधिकारिता, समयावधि, दस्तावेज की भाषा की जांच कर ली गई है।		
2	पक्षकारों के हस्ताक्षर/फिंगर प्रिन्ट/फोटो एवं गवाहों के हस्ताक्षर/फिंगर प्रिन्ट, सम्पत्ति की फोटो एवं उनकी पहचान सुनिश्चित करने वाले दस्तावेज संलग्न हैं।		
3	निर्धारित प्रतिफल/मूल्यांकन राशि पर देय स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन एवं सरचार्ज व अन्य शुल्कों की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित कर ली गई है।		
4	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-33, 34 व 35 के प्रावधानानुसार पावर ऑफ अटोर्नी की वैधता एवं निष्पादकों की हैसियत व पहचान सुनिश्चित कर ली गई है।		
5	मेरे द्वारा भाग “आ” व भाग “ब” की संपूर्ण जांच कर ली गई है।		

दस्तावेज पंजीकृत किया गया	निम्नलिखित कारणों से दस्तावेज पंजीयन की कार्यवाही लम्बित की गई:- (i) (ii)
---------------------------	---

नाम की मुहर सहित हस्ताक्षर उप पंजीयक

परिशिष्ट-1 (Annexure- 1)

दस्तावेज़, जिन पर स्टाम्प ड्यूटी अचल सम्पत्ति के मूल्य पर देय है।	दस्तावेज़, जिन पर स्टाम्प ड्यूटी अचल सम्पत्ति के मूल्य पर देय नहीं है।
1. कन्वेन्स	
(i) अचल सम्पत्ति का विक्रय	(i) मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत EWS के पक्ष में विक्रय पत्र
(ii) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की एस.एफ.एस. योजना के तहत	(ii) मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत LIG के पक्ष में विक्रय पत्र
(iii) बहुमंजिला भवनों में आवासीय इकाई का विक्रय	(iii) Debt Assignment of performing assets
(a) आवासीय इकाई के प्रथम रजिस्ट्रेशन से एक वर्ष की अवधि में विक्रय	(iv) Debt Assignment of non performing assets
(b) आवासीय इकाई के प्रथम रजिस्ट्रेशन से दो वर्ष की अवधि में विक्रय	(v) नगरीय विकास विभाग के 2012 के नियमों के तहत भू-स्वामी द्वारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित असाईनमेंट डीड
(c) आवासीय इकाई के प्रथम रजिस्ट्रेशन से तीन वर्ष की अवधि में विक्रय	(a) राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी के तहत अनुमोदित प्रोजेक्ट की इकाई के संबंध में
(d) 50 लाख रुपये मूल्य तक की आवासीय इकाई का विक्रय	(b) अन्य मामलों में
(iv) 100 वर्गगज तक के आवासीय प्लॉट का विक्रय	2. लीज-डीड
(v) 50 वर्गगज तक के वाणिज्यिक प्लॉट का विक्रय	(i) सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा विक्रय/आवंटन के आधार पर या लोक निलामी के आधार पर जारी लीज-डीड
(vi) वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में कन्वेन्स डीड	(a) एक वर्ष से कम अवधि की लीज-डीड
(vii) खनन प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा खनन लीजधारी के पक्ष में निष्पादित सहमति पत्र	(b) एक वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड
(viii) शहीद की पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता या माता के पक्ष में सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवास की कन्वेन्स डीड	(c) 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड
(ix) अलाभकारी संस्था के पक्ष में SSIPS के तहत कन्वेन्स डीड	(d) 10 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड
(x) राज्य की विद्युत कम्पनियों के पक्ष में अचल सम्पत्ति की कन्वेन्स डीड	(e) 15 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड
(xi) स्पोर्सिंग बॉडी से उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पक्ष में हस्तांतरण पत्र	(f) 20 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड
(xii) टीडीआर	(g) 30 वर्ष से अधिक या शाश्वत लीज-डीड
(xiii) कम्पनियों का अमलगमेशन/डिमर्जर	इन्दिरा आवास/मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत नियम 157 या 158 के अन्तर्गत नई लीज-डीड
2. लीज-डीड	(iii) ग्राम पंचायत नियम 157 या 158 के अन्तर्गत पुनर्वैध लीज-डीड
(i) एक वर्ष से कम अवधि की लीज-डीड	(iv) गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत नई लीज-डीड/आवंटन
(ii) एक वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड	(v) गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पुनर्वैध लीज-डीड/आवंटन
(iii) 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड	(vi) राजस्थान स्लम डेवलपमेंट पॉलिसी के अन्तर्गत नई लीज-डीड
(iv) 10 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड	(vii) राजस्थान स्लम डेवलपमेंट पॉलिसी के अन्तर्गत पुनर्वैध लीज-डीड
(v) 15 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड	(viii) CM/PMआवास योजनान्तर्गत EWS के पक्ष में नई लीज-डीड
(vi) 20 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवधि की लीज-डीड	(ix) CM/PMआवास योजनान्तर्गत EWS के पक्ष में पुनर्वैध लीज-डीड
(vii) 30 वर्ष से अधिक या शाश्वत लीज-डीड	(x) CM/PMआवास योजनान्तर्गत LIG के पक्ष में नई लीज-डीड
(viii) राज्य की विद्युत कम्पनियों के पक्ष में सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा अचल सम्पत्ति की लीज-डीड	(xi) CM/PMआवास योजनान्तर्गत LIG के पक्ष में नई लीज-डीड
3. एक्सचेंज	(xii) CM/PMआवास योजनान्तर्गत ULBद्वारा EWS के पक्ष में विक्रय पत्र (आवासीय इकाई क्षेत्रफल 325 वर्गगज, आय 5000 रुपये प्रतिमाह तक)
4. गिफ्ट	(xiii) CM/PMआवास योजनान्तर्गत ULBद्वारा LIG के पक्ष में विक्रय पत्र (आवासीय इकाई क्षेत्रफल 500 वर्गगज, आय 5001 से 10000 रुपये प्रतिमाह तक)
5. एग्रीमेण्ट्स-	(xiv) टाऊनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नई लीज-डीड
(i) डेवलपर एग्रीमेण्ट (विकसित भूमि बेचने के अधिकार सहित)	(xv) टाऊनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नई लीज-डीड
(ii) डेवलपर एग्रीमेण्ट (विकसित भूमि बेचने के अधिकार के बिना)	(xvi) टाऊनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुनर्वैध लीज-डीड
(iii) सम्पत्ति के कब्जे के प्रावधान के साथ बेचान एग्रीमेण्ट/दस्तावेज	(xvii) टाऊनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नई लीज-डीड
(iv) लीव एण्ड लाईसेन्स एग्रीमेण्ट	(xviii) टाऊनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुनर्वैध लीज-डीड
(a) एक वर्ष से कम अवधि के लिए	(xix) धारा 90-ए के तहत नियमन पश्चात नई लीज-डीड
(b) एक वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए	(xx) धारा 90-ए के तहत नियमन पश्चात पुनर्वैध लीज-डीड
(c) 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए	(xxi) सरकार/स्थानीय निकायों की भूमि के संबंध में 30 वर्ष से अधिक या शाश्वत अवधि की नई लीज-डीड
(d) 10 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए	(xxii) सरकार/स्थानीय निकायों की भूमि के संबंध में 30 वर्ष से अधिक या शाश्वत अवधि की पुनर्वैध लीज-डीड

<p>(e) 15 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए</p> <p>(f) 20 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवधि के लिए</p> <p>(g) 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिए</p>	<p>6. पावर ऑफ अटोर्नी-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रतिफल सहित अचल सम्पत्ति को बेचने का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटोर्नी (ii) बिना प्रतिफल के फैमिली मेम्बर से भिन्न व्यक्ति को अचल सम्पत्ति को बेचने का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटोर्नी (iii) डबलपर के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटोर्नी <ul style="list-style-type: none"> (a) विकसित भूमि के विक्रय के अधिकार सहित (b) विकसित भूमि के विक्रय के अधिकार रहित 	<p>(xxiv) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की एस.एफ.एस. योजना के तहत लीज-डीड</p> <p>(xxv) स्थानीय निकायों द्वारा 50 लाख रुपये मूल्य तक की आवासीय इकाई की लीज-डीड/आवंटन</p> <p>(xxvi) स्थानीय निकाय द्वारा वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में लीज-डीड/आवंटन</p> <p>(xxvii) शहीद की पत्नी, पुत्री, पिता या माता के पक्ष में सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवास की लीज-डीड</p> <p>(xxviii) अलाभकारी संस्था के पक्ष में SSIPS के तहत सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा लीज-डीड</p> <p>(xxix) लीजहोल्ड से फ़ीहोल्ड में कन्वर्जन के पश्चात् फ़ीहोल्ड लीज-डीड</p> <p>(xxx) पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा फ़ीहोल्ड या लीजहोल्ड बेसिस पर जारी लीज-डीड</p> <p>(xxxi) सब-डिवीजन के पश्चात् मूल स्वामी के पक्ष में जारी एक से अधिक नई लीज-डीड</p> <p>(xxxii) एक भूखण्ड के एक से अधिक स्वामियों के पक्ष में सब-डिवीजन के पश्चात् उनके अंशों के अनुपात में जारी नई लीज-डीड्स</p> <p>(xxxiii) उत्तराधिकार के आधार पर जारी लीज-डीड</p> <p>(xxxiv) एक व्यक्ति के एक से अधिक भूखण्डों के पुनर्गठन के पश्चात् उसके पक्ष में जारी लीज-डीड</p> <p>(xxxv) विभिन्न व्यक्तियों के भूखण्डों के पुनर्गठन के पश्चात् उनके मूल भूखण्डों में स्वामित्व के अंशों के अनुपात में जारी संयुक्त लीज-डीड</p> <p>(xxxvi) भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् जारी लीज-डीड</p>
<p>(i) पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति के संबंध में रिलीज डीड</p> <p>(ii) पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति के संबंध में विभाजन पत्र</p> <p>(iii) सेटलमेंट डीड</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) धार्मिक/चेरिटेबल प्रयोजनों के लिए सेटलमेंट, जिसमें अचल सम्पत्ति निहित हो (b) अन्य प्रयोजनों के लिए सेटलमेंट, जिसमें अचल सम्पत्ति निहित हो 	<p>(iv) सेटलमेंट डीड का विघटन</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) धार्मिक/चेरिटेबल प्रयोजनों के लिए सेटलमेंट जिसमें अचल सम्पत्ति निहित हो (b) अन्य प्रयोजनों के लिए सेटलमेंट जिसमें अचल सम्पत्ति निहित हो 	<p>3. लोक नीलामी में जारी सर्टिफिकेट ऑफ सेल</p> <p>4. सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा जारी लीज-डीड</p>
<p>(v) केन्सिलेशन डीड, जो रिकन्वेंस की श्रेणी में आता है</p> <p>(vi) सप्लीमेन्ट्री डीड, जिसमें अचल सम्पत्ति का कन्वेंस होता हो</p> <p>(vii) एल.एल.पी.</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) फर्म/कम्पनी के एल.एल.पी. में कन्वर्जन में या एल.एल.पी. के फर्म/कम्पनी में कन्वर्जन में अचल सम्पत्ति निहित हो (b) एल.एल.पी. का अमलगमेशन/रिकन्स्ट्रक्शन (c) एल.एल.पी. के गठन के समय अचल सम्पत्ति का अंशदान हो (d) एल.एल.पी. का विघटन <ul style="list-style-type: none"> ● गठन के समय जो भागीदार अचल सम्पत्ति लाया था विघटन के समय वह सम्पत्ति उससे भिन्न भागीदार को जा रही हो ● जहां सम्पत्ति एल.एल.पी. के गठन के बाद स्वयं एल.एल.पी. द्वारा अर्जित की गई हो और विघटन के समय भागीदारों में वितरित हो रही हो 	<p>(e) रिटायरमेंट डीड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जहां एल.एल.पी. के पास अचल सम्पत्ति हो और भागीदार बिना सम्पत्ति लिए रिटायर हो रहा हो ● जहां एल.एल.पी. के पास अचल सम्पत्ति हो और भागीदार ऐसी अचल सम्पत्ति लेकर जा रहा हो जो वह अंशदान के रूप में नहीं लाया था ● जहां अचल सम्पत्ति एल.एल.पी. के गठन के बाद अर्जित की गई हो और भागीदार ऐसी अचल सम्पत्ति लेकर जा 	<p>5. एग्रीमेण्ट्स</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) अचल सम्पत्ति का बिना कब्जे का विक्रय इकरारनामा (ii) लोन एग्रीमेण्ट <ul style="list-style-type: none"> (a) पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत (b) स्टार्ट-अप प्रयोजनार्थ (c) शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (d) बिजली कम्पनियों द्वारा दिनांक 31.03.25 तक निष्पादित (iii) अन्य एग्रीमेण्ट <p>6. मोरगेज/चार्ज</p>
<p>(i) हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक/पॉन/प्लेज</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) जहां ऋण मांग पर या तीन माह बाद देय हो (b) जहां ऋण तीन माह तक देय हो <p>(ii) एमएसएमई की स्थापना के लिए ऋण या वर्तमान ऋण में अभिवृद्धि या ऋण खाता एक बैंक से दूसरे बैंक में हस्तांतरण के मामलों में</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) लोन एग्रीमेण्ट/हक विलेखों के निक्षेप या लीज कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में निष्पादित दस्तावेजों की संख्या (b) सम्पत्ति के कब्जे सहित या रहित साधारण बंधक के मामले में निष्पादित दस्तावेजों की संख्या <p>(iii) फर्दर चार्ज (Further Charge)</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) कब्जा सहित बंधक के क्रम में फर्दर चार्ज (b) कब्जा रहित बंधक के क्रम में फर्दर चार्ज <ul style="list-style-type: none"> ● जहां फर्दर चार्ज में कब्जा दिया गया हो या दिये जाने की बात हो ● जहां फर्दर चार्ज में कब्जा नहीं दिया गया हो और न ही दिये जाने की बात हो <p>(iv) बंधक पत्र (Mortgage Deed)</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) कब्जा सहित बंधक पत्र (ii) कब्जा रहित बंधक पत्र (iii) कॉलेट्रल/ऑग्जिलरी/एडिशनल/सबस्ट्रट्यूटेड सिक्योरिटी <ul style="list-style-type: none"> ● जहां प्रतिभूत राशि एक हजार रुपये तक है ● जहां प्रतिभूत राशि एक हजार रुपये से अधिक है 		

<p>रहा हो</p> <p>(viii) पार्टनरशिप डीड</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) फर्म के गठन के समय अचल सम्पत्ति का अंशदान हो (b) फर्म का विघटन ● गठन के समय जो भागीदार अचल सम्पत्ति लाया था विघटन के समय वह सम्पत्ति उससे भिन्न भागीदार को जा रही हो ● जहां सम्पत्ति फर्म के गठन के बाद स्वयं फर्म द्वारा अर्जित की गई हो और विघटन के समय भागीदारों में वितरित हो रही हो (c) रिटायरमेंट डीड ● जहां फर्म के पास अचल सम्पत्ति हो और भागीदार बिना सम्पत्ति लिए रिटायर हो रहा हो ● जहां फर्म के पास अचल सम्पत्ति हो और भागीदार ऐसी अचल सम्पत्ति लेकर जा रहा हो जो वह अंशदान के रूप में नहीं लाया था ● जहां फर्म के पास अचल सम्पत्ति फर्म के गठन के बाद अर्जित की गई हो और भागीदार ऐसी अचल सम्पत्ति लेकर जा रहा हो <p>8. ट्रस्ट डीड</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) धार्मिक / चेरिटेबल प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट जिसमें अचल सम्पत्ति निहित हो (b) अन्य प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट जिसमें अचल सम्पत्ति निहित हो <p>9. ट्रस्ट के विघटन की डीड, जिसमें अचल सम्पत्ति निहित है</p>	<ul style="list-style-type: none"> (iv) कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण हेतु बंधक (v) राजकीय कार्मिकों द्वारा ऋण हेतु बंधक (vi) युद्ध विधवा द्वारा आवास के निर्माण या उसमें मरम्मत आदि के लिए ऋण हेतु बंधक (vii) खातेदार द्वारा माइक्रो या स्मॉल औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए ऋण हेतु बंधक (viii) खातेदार द्वारा एग्रो प्रोसेसिंग औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए ऋण हेतु बंधक (ix) वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रिवर्स मोरगेज <p>7. बंधक सम्पत्ति का रिक्वेंस</p> <p>8. पावर ऑफ अटोर्नी</p> <p>9. डीड / इन्स्ट्रूमेन्ट</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) पैतृक सम्पत्ति के संबंध में रिलीज डीड (ii) पैतृक सम्पत्ति के संबंध में विभाजन पत्र (iii) सेटलमेंट डीड (iv) केन्सिलेशन डीड जो रिक्वेंस की श्रेणी में नहीं आता है (v) सप्लीमेन्ट्री डीड जिसमें अचल सम्पत्ति का कन्वेंस नहीं होता हो (vi) एल.एल.पी. (a) फर्म / कम्पनी के एल.एल.पी. में कन्वर्जन में या एल.एल.पी. के फर्म / कम्पनी में कन्वर्जन में अचल सम्पत्ति निहित नहीं हो (b) एल.एल.पी. के गठन के समय अचल सम्पत्ति का अंशदान नहीं हो (c) रिटायरमेंट डीड <ul style="list-style-type: none"> ● जहां एल.एल.पी. के पास अचल सम्पत्ति हो और भागीदार वही सम्पत्ति लेकर रिटायर हो रहा हो जो वह अंशदान के रूप में लाया था ● जहां किसी भागीदार के रिटायरमेन्ट के समय एल.एल.पी. के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं हो (d) उक्त से भिन्न एल.एल.पी. से संबंधित कोई दस्तावेज <p>(vii) पार्टनरशिप डीड</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) फर्म के गठन के समय अचल सम्पत्ति का अंशदान नहीं हो (b) फर्म का विघटन <ul style="list-style-type: none"> ● जहां फर्म के गठन के समय अचल सम्पत्ति हो और भागीदारी दादा, दादी, पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पति एवं पत्नी के बीच हो ● जहां फर्म के गठन के पश्चात् अचल सम्पत्ति अर्जित की गई हो और भागीदारी दादा, दादी, पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पति एवं पत्नी के बीच हो (c) रिटायरमेंट डीड <ul style="list-style-type: none"> ● जहां फर्म के पास अचल सम्पत्ति हो और भागीदार वही सम्पत्ति लेकर रिटायर हो रहा हो, जो वह अंशदान के रूप में लाया था ● जहां किसी भागीदार के रिटायरमेन्ट के समय फर्म के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं हो (d) उक्त से भिन्न फर्म से संबंधित कोई दस्तावेज
---	---

परिशिष्ट-2 (Annexure- 2)

Tourism Units Defined under Rajasthan Tourism Unit Policy, 2015

S.No.	Tourism Unit	Policy Provision
1.	Hotel/Motel	Minimum Rooms-20 Minimum Investment-2Cr. Minimum Land size-500 Sq. Mtr. Permissible Size-As UDH/Revenue/Panchayati Raj Department
2.	Heritage Hotel	A hotel run in fort, fortress, a palace, a haveli, a castle, hunting lodge or residences with heritage features, built prior to 01.01.1950
3.	Budget Hotel	Minimum Rooms-20

		Minimum Investment-2Cr. Provide basic amenities at an affordable & economic rates
4.	Restaurant/Cafeteria	Minimum Investment-1Cr. Seating Capacity-40 Persons
5.	Resort	Provide/recreational facilities, riding, swimming or social amenities with boarding and lodging arrangements for holidaying in cottages/rooms. Land Size-8000 Sq. Mtr. as per Model Building Byelaws
6.	Sports Resort	A golf course, golf academy or adventure related sports or any Land Size-8000 Sq. Mtr. as per Model Building Byelaws
7.	Health Resort Spa	A short-term Residential/lodging facility with purpose or providing spa services such as massages, yoga, meditation and other related treatments for rejuvenation the body. Land size-As per Modal Building Byelaws
8.	Camping Site	Furnished tents, accommodation having at least 10 tents.
9.	Amusement Park	Providing various types of rides, games and amusement activities.
10.	Animal Safari Park	Developed with the permission of the Forest Department
11.	MICE/Convention Centre	Minimum Area-5000 Sq. Feet and covered pillar-less air conditioned hall
12.	Museum	A building in which objects of historical, scientific, artistic or cultural interest are stored and exhibited and is open for general public with or without ticket
13.	Ropeway	Established under the prevailing Act and Rules.
14.	Tourist Luxury Coach	Min. Seating Capacity-13 It should be operated by valid All India Permit holder Tourist Transport Operates, recognized by Indian Association of Tour Operators (IATO) and Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) and registered in the State of Rajasthan.
15.	Caravan	A specially built vehicle registered with any State Transport Department which is used for the purpose of group oriented leisure travel with bed capacity of at least 4 beds.
16.	Cruise Tourism	Any Boat/Yacht with a minimum seating capacity for 4 persons, which is licensed by the Transport Department, Government of Rajasthan and having capacity to operate in lakes/rivers of the State for pay-and-use facilities. Boat/Yachts used by hotels to transport or entertain their guests and/or goods/raw materials will not be covered under this definition.